रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935
No. 728] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

का.आ. 836(अ).—यत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1361(अ), तारीख 18 जून, 2012 द्वारा कर्नाटक राज्य में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 और नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 648 के 58.300 कि.मी. से 139.180 कि.मी. (होसकोटे-डोब्बासपेट सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स ट्रांसट्राय होसकोटे-डोब्बासपेट टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जो 30-03-2012 को प्रस्तुत की गई बोली के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 8-3-833/104, मेन रोड, कमलापुरी कालोनी, हैदराबाद-500073, आंध्र प्रदेश, भारत में हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ कर्नाटक राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 के 58.300 कि.मी. से 138.320 कि.मी. तक होसकोटे-डोब्बासपेट सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के विकास हेतु करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है) ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 58.320 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), और पचास करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले पुलों/संरचनाओं के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति यात्रा रूपये में)						
स्थायी पुल, अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	एचसीएम, इमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6
एक सौ करोड़ रूपए से अधिक और दो सौ करोड़ रूपए तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
दो सौ करोड़ रूपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड. रूपये या उसके भाग के लिए	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

IndiaCode

टिप्पणियां:

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी/चैनेज. 73.500 (बेंगलूरू ग्रामीण जिले में चन्नाहल्ली गांव के पास)	18.550
कि.मी/चैनेज. 125.550 (बेंगलूरू ग्रामीण जिले में हुलीकुंते गांव के पास)	39.770

2.उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्मलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए बाइपास (बाइपासों) की निर्दिष्ट लम्बाई हेतु सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड. रूपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा	
	लम्बाई (किमी में)	लागत(करोड़ रूपये में)
कि.मी/चैनेज. 73.500 (बेंगलूरू ग्रामीण जिले में चन्नाहल्ली गांव के पास)	9.480	132.36
कि.मी/चैनेज. 125.550 (बेंगलूरू ग्रामीण जिले में हुलीकुंते गांव के पास)	9.750	120.52

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुलों/संरचनाओं जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है के उपयोग के लिए, निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा(प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	पुलों/संरचनाओं की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा	
	लम्बाई (किमी में)	लागत(करोड़ रूपये में)
कि.मी/चैनेज. 73.500 (बेंगलूरू ग्रामीण जिले में चन्नाहल्ली गांव के पास)	0.870 किमी	56.830 करोड़
कि.मी/चैनेज. 125.550 (बेंगलूरू ग्रामीण जिले में हुलीकुंते गांव के पास)	1.000 किमी	57.49 करोड़
कि.मी/चैनेज. 125.550 (बेंगलूरू ग्रामीण जिले में हुलीकुंते गांव के पास)	0.600 किमी	51.11 करोड़

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के संबंध में मासिक पास की दर 200.00/- रूपए (दो सौ रूपए मात्र) है जो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:-

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो -तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. सारणी 1 में यथाउल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क की राशि और छूट की गणना परियोजना राजमार्ग की लम्बाई के पूरे कर लिए भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी तथा इसके बाद उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछले तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा । तदनुसार, शुल्क की वास्तविक राशि और छूट अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/720/12-13/सीओ/जीसी-होसकोटे-डोब्बासपेट]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2013

S.O. 836(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1361 (E), dated 18th June, 2012, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) for entrustment to NHAI, the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 58.300 to kilometer 139.180 [Hoskote – Dobbaspet section] of Old National Highway No. 207 and New National Highway No. 648 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Transstroy Hoskote – Dobbaspet Tollways Private Limited on 30.08.2012 having its registered office at No. 8-3-833/104, Main Road, Kamalapuri Colony, Hyderabad-500073, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 30.03.2012 by the successful bidder for the development of the Hoskote – Dobbaspet section from Km 58.300 to Km 138.320 on National Highway No. 207 (hereinafter referred to as the "said section") in the State of Karnataka on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 58.320 Kms for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty crore or more and at one and half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation (COD) declared by the Authority and on getting the work completion certificate from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

1267 GI/13-2

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

"Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of permanent bridge or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**Three-axle commercial vehicles**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 73.500 (near Channahalli village in Bengaluru rural district)	18.550
Km/Ch. 125.550 (near Hulikunte village in Bengaluru rural district)	39.770

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rates mentioned in Table 1 for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable	
	Length (in Km)	Cost (Rs. in Crore)
Km/Ch. 73.500 (near Channahalli village in Bengaluru rural district)	9.480	132.36
Km/Ch. 125.550 (near Hulikunte village in Bengaluru rural district)	9.750	120.52

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length and Cost of bridges / structures for which additional fee is payable	
	Length(in km)	Cost (Rs. in Crore)
Km/Ch. 73.500 (near Channahalli village in Bengaluru rural district)	0.870 km	Rs 56.830 crore
Km/Ch. 125.550 (near Hulikunte village in Bengaluru rural district)	1.000 km	Rs 57.49 crore
Km/Ch. 125.550 (near Hulikunte village in Bengaluru rural district)	0.600 km	Rs 51.11 crore

4. The rate of monthly pass for person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred Only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway, will be published and thereafter revised annually in accordance with rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee. The actual amount of fee and the discounts shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/720/12-13/CO/GC-Hoskote-Dobbaspet]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.